।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 25.01.2023 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 25.01.2023 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्रीमती मालिनी अग्रवाल, अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. डॉ. सौम्या झा संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री दिलबाग सिंह, उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। — सदस्य

निम्न 10 बंदियों के खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
बल्भाराम पुत्र घासीराम	उ.सु.का. अजमेर	691/2022	29.11.2022	15.12.2022
ओमप्रकाश उर्फ विष्णु पुत्र पुनमाराम	के.का. जोधपुर	384/2022	29.11.2022	15.12.2022
सन्दीपसिंह पुत्र डूंगरसिंह	वि.के.का. श्यालावास	385/2022	01.12.2022	15.12.2022
विनोद पुत्र गोपीराम	वि.के.का. श्यालावास	693/2022	29.11.2022	14.12.2022
धुन्ना उर्फ मुन्ना उर्फ गोविन्द सिंह पुत्र सियाराम	के.का. भरतपुर	699/2022	29.11.2022	14.12.2022

बन्टू पुत्र हरिलाल	के.का. अलवर	700/2022	07.12.2022	21.12.2022
ओमप्रकाश पुत्र नोरंगराम	के.का. बीकानेर	409/2022	02.01.2023	05.01.2023
आनन्द पुत्र कृष्णपाल	के.का. अलवर	958/2022	20.12.2022	07.01.2023
राजेन्द्र पुत्र सुरजभान	के.का. अलवर	02/2023	05.01.2023	17.01.2023
सतीश उर्फ सत्यनारायण पुत्र देवपाल	के.का. भरतपुर	10/2023	09.01.2023	20.01.2023

स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

1. ओमप्रकाश उर्फ विष्णु पुत्र पूनमाराम, के.का. जोधपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक 10 वर्ष 11 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 10.03.2022 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अन्तर्गत खुला बन्दी शिविर हेतु पात्र नही होने से बन्दी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2022 से अगामी बैठक में प्रकरण पर विचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रकरण पर पुनः विचार किया गया। बन्दी द्वारा प्रतिबन्धित धारा 460 आई.पी.सी. की सजा भुगत ली गई है।

अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी ओमप्रकाश उर्फ विष्णु पुत्र पूनमाराम को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

2. ओमप्रकाश पुत्र नोंरगराम, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर

बंदी द्वारा दिनांक 09.11.2022 तक 09 वर्ष 08 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.01.2023 से अगामी बैठक में प्रकरण पर विचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर ने बंदी का आचरण संतोषप्रद बताया है व बंदी को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा **बंदी ओमप्रकाश पुत्र नोंरगराम** को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

3. आनन्द पुत्र कृष्णपाल, केन्द्रीय कारागृह, अलवर

बंदी द्वारा दिनांक 09.11.2022 तक 06 वर्ष 11 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2022 से आदेश प्राप्त होने की दिनांक से एक माह के भीतर प्रकरण पर विचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, अलवर ने बंदी का आचरण संतोषप्रद बताया है व बंदी को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना की है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा **बंदी आनन्द पुत्र कृष्णपाल** को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

1. बल्भाराम पुत्र घासीराम, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक 12 वर्ष 01 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2022 से एक माह में प्रकरण पर विचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

बंदी के विरूद्व माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या-2, किशनगढ, जिला अजमेर के प्रकरण संख्या 125/2017 अंतर्गत धारा 193 आई.पी.सी. व 8/29 एन.डी.पी.एस एक्ट तथा अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या-4, अजमेर के प्रकरण संख्या 190/2017 अन्तर्गत धारा 42 राजस्थान कारागार अधिनियम (जमानत पर) विचाराधीन है।

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 की उद्देशिका में अंकित है कि-चूंकि राजस्थान के सिद्धदोषों में अच्छे आचरण, कार्य के संतोषजनक निष्पादन, एवं स्व-अनुशासन जीवन को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से **खुली हवा शिविरों में सिद्धदोषों को भेजने** के लिए नियम बनाना, तथा इन सिद्धदोषों को पूर्व-रिहाई प्रदाय करने के लिये, सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता सिखाने के अवसर प्रदान करने के लिये, नियम बनाये जाना आवश्यक है।

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत **केवल दण्डित बंदियों को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का प्रावधान है** जबकि बंदी अन्य 02 प्रकरण में (जिसमे वह जमानत पर है) विचाराधीन है।

अत: उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **बल्भाराम पुत्र घासीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

2. संदीप सिंह पुत्र डूंगर सिंह, वि.के.का. श्यालावास दौसा

बंदी द्वारा प्रकरण संख्या 39/2014 में दिनांक 31.12.2021 तक 08 वर्ष 05 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2022 से आगामी बैठक में प्रकरण पर विचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में बंदी के प्रकरण पर विचार किया गया। बंदी को प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में 10 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित किये जाने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3 (घ) के अंतर्गत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के अंतर्गत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है।

साथ ही बंदी 1. माननीय सी.जे.एम. चूरू के प्रकरण संख्या 444/2015 अंतर्गत धारा 353, 504 आई.पी.सी. (जमानत पर) 2. माननीय पी.सी.पी.एन. डी.टी. बीकानेर के प्रकरण संख्या 353/2015 अंतर्गत धारा 406, 420, 120बी आई.पी.सी. (जमानत पर) एवं 3. माननीय पी.सी.पी.एन.डी.टी. बीकानेर के प्रकरण संख्या 144/2021 अंतर्गत धारा 42 कारागार (संशोधित) अधिनियम, 2015 में विचाराधीन है।

> राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 की उद्देशिका में अंकित है कि-चूंकि राजस्थान के सिद्धदोषों में अच्छे आचरण, कार्य के संतोषजनक निष्पादन, एवं स्व-अनुशासन जीवन को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से **खुली हवा शिविरों में सिद्धदोषों को भेजने** के लिए नियम बनाना, तथा इन सिद्धदोषों को पूर्व-रिहाई प्रदाय करने के लिये, सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता सिखाने के अवसर प्रदान करने के लिये, नियम बनाये जाना आवश्यक है।

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत **केवल दण्डित बंदियों को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का प्रावधान है** जबकि बंदी अन्य 03 प्रकरणों में विचाराधीन (जिनमें 02 में जमानत पर) है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **संदीप सिंह पुत्र डूंगरसिंह** को खुला बंदी शिविर में नही भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

3. विनोद पुत्र गोपीराम, के.का. अलवर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक 06 वर्ष 08 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 25.04.2022 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 376डी सपठित धारा 120 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) में निहित प्रावधानों अन्तर्गत खुला बन्दी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से बन्दी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2022 से एक माह में प्रकरण पर विचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

बन्दी प्रतिबंधित धारा 376 डी सपठित धारा 120बी आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

दिनांक 22.02.2016 को उक्त बंदी अन्य साथियों के साथ अपने घर में अकेली गूंगी व बहरी लडकी जो कि मंदबुद्धि भी थी को जबरन उठाकर ले गये एवं अन्य साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। बन्दी के उक्त कृत्य के लिए माननीय न्यायालय द्वारा धारा 376(डी) सपठित धारा 120(बी) आईपीसी के अधीन बन्दी को 20 वर्ष कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।

वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 30 वर्ष है। बंदी खुला शिविरों में बंदियों के साथ उनका परिवार भी निवास करता है। जिनमें उनकी पत्नी एवं पुत्रियां भी सम्मिलित है। बंदी द्वारा शिविर में अथवा शिविर के बाहर ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.क्रिमीनल रिट पिटीशन संख्या 189/2022 में दिनांक 13.07.2022 को निर्णय दिया गया है कि बन्दी के खुला बन्दी शिविर के प्रकरण पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता, बन्दी द्वारा पुनः अपराध कारित करने की संभावना तथा खुले बन्दी शिविर में रह रहे अन्य बन्दियों पर पडने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिये।

अत: उक्त तथ्य एवं घटना की गंभीर प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **विनोद पुत्र गोपीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

4. धुन्ना उर्फ मुन्ना उर्फ गोविन्द सिंह पुत्र सियाराम, के.का. भरतपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक 06 वर्ष 08 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 25.04.2022 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 376डी आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) में निहित प्रावधानों अन्तर्गत खुला बन्दी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से बन्दी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2022 से एक माह में प्रकरण पर विचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

बन्दी प्रतिबंधित धारा 376 डी आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एव नियम 4 (क) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

दिनांक 27.04.2015 की रात्री में घर में घुसकर परिवार की महिलाओ के साथ घर के पुरूष सदस्यों के सामने पिस्टल की नोक पर अपने सहयोगी के साथ नृशंसता के साथ बार-बार दुष्कर्म किया तथा हत्या करने के मन्सुबे से गोली चलाई जो कि उसके सहयोगी के लग गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 36 वर्ष है। बंदी खुला शिविरों में बंदियों के साथ उनका परिवार भी निवास करता है। जिनमें उनकी पत्नी एवं पुत्रियां भी सम्मिलित है। बंदी द्वारा शिविर में अथवा शिविर के बाहर ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.क्रिमीनल रिट पिटीशन संख्या 189/2022 में दिनांक 13.07.2022 को निर्णय दिया गया है कि बन्दी के खुला बन्दी शिविर के प्रकरण पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता, बन्दी द्वारा पुन: अपराध कारित करने की संभावना तथा खुले बन्दी शिविर में रह रहे अन्य बन्दियों पर पडने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिये।

अत: उक्त तथ्य एवं घटना की गंभीर प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **धुन्ना उर्फ मुन्ना उर्फ गोविन्द सिंह पुत्र सियाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

5. बन्टू पुत्र हरिलाल, के.का. अलवर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक 06 वर्ष 09 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 25.04.2022 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 376डी सपठित धारा 120 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) में निहित प्रावधानों अन्तर्गत खुला बन्दी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से बन्दी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.12.2022 से एक माह में प्रकरण पर विचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

बन्दी प्रतिबंधित धारा 376 डी सपठित धारा 120बी आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

दिनांक 22.02 2016 को उक्त बंदी अन्य साथियों के साथ अपने घर में अकेली गूंगी व बहरी लडकी जो कि मंदबुद्धि भी थी को जबरन उठाकर ले गये एवं अन्य साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। बन्दी के उक्त कृत्य के लिए माननीय न्यायालय द्वारा धारा 376(डी) सपठित धारा 120(बी) आईपीसी के अधीन बन्दी को 20 वर्ष कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।

वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 25 वर्ष है। बंदी खुला शिविरों में बंदियों के साथ उनका परिवार भी निवास करता है। जिनमें उनकी पत्नी एवं पुत्रियां भी सम्मिलित है। बंदी द्वारा शिविर में अथवा शिविर के बाहर ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.क्रिमीनल रिट पिटीशन संख्या 189/2022 में दिनांक 13.07.2022 को निर्णय दिया गया है कि बन्दी के खुला बन्दी शिविर के प्रकरण पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता, बन्दी द्वारा पुनः अपराध कारित करने की संभावना तथा खुले बन्दी शिविर में रह रहे अन्य बन्दियों पर पडने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिये।

अतः उक्त तथ्य एवं घटना की गंभीर प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी बन्टू पुत्र हरिलाल को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

6. राजेन्द्र पुत्र सुरजभान, के.का. अलवर

बंदी द्वारा दिनांक 09.11.2022 तक 06 वर्ष 08 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.2023 से एक माह में प्रकरण पर विचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

बन्दी प्रतिबंधित धारा 376 (2जी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4(क) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

उक्त बंदी ने अन्य साथियों के साथ मिलकर पीडिता को दिनांक 07.04.2011 से 24.04.2011 तक डराकर रखते हुये जबरन बलात्कार करते रहे। बन्दी के उक्त कृत्य के लिए माननीय न्यायालय द्वारा धारा 376(2जी) आईपीसी के तहत बन्दी को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।

वर्तमान में बंदी की आयु लगभग 29 वर्ष है। बंदी खुला शिविरों में बंदियों के साथ उनका परिवार भी निवास करता है। जिनमें उनकी पत्नी एवं पुत्रियां भी सम्मिलित है। बंदी द्वारा शिविर में अथवा शिविर के बाहर ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.क्रिमीनल रिट पिटीशन संख्या 189/2022 में दिनांक 13.07.2022 को निर्णय दिया गया है कि बन्दी के खुला बन्दी शिविर के प्रकरण पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता, बन्दी द्वारा पुनः अपराध कारित करने की संभावना तथा खुले बन्दी शिविर में रह रहे अन्य बन्दियों पर पडने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिये।

अतः उक्त तथ्य एवं घटना की गंभीर प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **राजेन्द्र पुत्र सुरजभान** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

7. सतीश उर्फ सत्यनारायण पुत्र देवपाल, के.का. भरतपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12..2022 तक 07 वर्ष 06 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.01.2023 से एक माह में प्रकरण पर विचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

बन्दी को माननीय न्यायालयों द्वारा निम्न प्रकरणों में सिद्धदोष किया गया है:-

1	46/2016	379 भा.द.सं. व 3/25 आर्म्स एक्ट	आदेश दिनांक 07.02.2018 से 03 वर्ष साधारण कारावास
2	31/2016	307/34, 427/34 भा.द.सं.	आदेश दिनांक 05.09.2018 से 10 वर्ष कठोर कारावास

3	34/2016	341, 323/34, 302 भा.द. सं. व 3/25 आर्म्स एक्ट	आदेश दिनांक 04.05.2022 से आजीवन कारावास
4	237/2012	411 भा.द.सं.	आदेश दिनांक 17.08.2022 से एक वर्ष साधारण कारावास

बन्दी दो से अधिक प्रकरणों में सिद्धदोषी होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(च) के तहत साधारणतया एवं नियम 4(क) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **सतीश उर्फ सत्यनारायण पुत्र देवपाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य	सदस्य सचिव	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।	संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।